भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4801

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

खराब हो चुके विद्युत ट्रांसफार्मर

4801. श्री सुदर्शन भगत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा कम वाट वाले ट्रांसफार्मरों से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के कारण उक्त अधिकांश ट्रांसफार्मर खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिलों से विद्युत योजनाओं के अनुचित क्रियान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा निष्पादन मानकों (एसओपी) में यथा अधिसूचित निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने/बदलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना वितरण लाइसेंसधारी का कर्तव्य है। सभी एसईआरसी/जेईआरसी ने निष्पादन मानक जारी किए हैं जिनका सभी वितरण यूटीलिटियों द्वारा पालन किया जाना है जिसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में किसी खराब वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए समय-सीमा भी शामिल है।

भारत सरकार ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 भी अधिसूचित किए हैं जिसमें वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता, निष्पादन मानक, प्रतिपूर्ति तंत्र, उपभोक्ता सेवाओं के लिए कॉल सेंटरों का प्रावधान, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक ध्यान दिया गया है।

संबंधित वितरण यूटीलिटियों द्वारा आम तौर पर किसी वितरण ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति ट्रांसफार्मर की क्षमता तथा किसी वितरण ट्रांसफार्मर से आपूर्ति की जा रही उपभोक्ताओं की कुल अनुबंधित मांग की गणना करने के बाद की जाती है ताकि ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग से बचा जा सके।

संबंधित वितरण यूटीलिटियों का यह उत्तरदायित्व है कि प्रणाली की ओवरलोडिंग से बचने और क्षेत्र के प्रत्याशित भार की पूर्ति के लिए विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित अपनी वितरण प्रणाली को नियमित रूप से उन्नत एवं संवर्धित करें ताकि उनके प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति की जा सके। भारत सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों सहित राज्यों की उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना का सुधार और संवर्धन करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्कीमों को आरंभ करते हुए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। भारत सरकार ने देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना के नवीकरण एवं संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करने हेतु डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस तथा सौभाग्य स्कीमें आरंभ कीं। डीडीयूजीजेवाई/आईपीडीएस/सौभाग्य स्कीमों के अंतर्गत, विद्युतीकरण कार्यों के लिए और उपभोक्ताओ को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों का वित्तपोषण किया गया था।

भारत सरकार ने हाल ही में एक वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) - सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का परिव्यय 5 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये है जिसमें प्राक्कलित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत, आईटी हस्तक्षेप के साथ-साथ विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के उन्नयन और संचारी प्रणाली मीटरिंग एवं 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए अखिल भारत प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना आदि के लिए पात्र डिस्कॉम को वित्त पोषण प्रदान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के प्रथक्करण, उप-परेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है।

उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र के आईटी सक्षमीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) भी शुरू की गई थी।

झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिलों से डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य स्कीमों के अंतर्गत अनुचित कार्यान्वयन के संबंध में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

****